



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....998/2015..... जिला .....भीलवाड़ा.....

उनवान : मैसर्स संगम इण्डिया लिमिटेड, भीलवाड़ा बनाम  
(1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा (2) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/07/2015	<p><b>खण्डपीठ</b> <b>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</b> <b>श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना-पत्र संख्या 18/वेट/15-16/स्थगन/भीलवाड़ा में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.06.2015 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2006-07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 03.03.2015 से सृजित कुल मांग राशि रूपये 34,87,042/- की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ब्याज राशि रूपये 15,91,910/- की वसूली पर स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि (कर राशि) को वसूली योग्य अवधारित किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री एम. एल. पाटौदी व इशु जैन तथा विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में अवशेष बकाया शेष राशि रूपये 17,05,619/- की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p>	
	<p> 14.7.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	<p> 14.07.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>